14.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वंय भी उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये अतः वादी का यह वादपत्र अग्रम पैरवी - अग्रम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौधरी)
RAS.